रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 1990/फाल्गुन 29, 1911
No. 114] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1990/PHALGUNA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1990

सा का नि 387 (अ) :—अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली, 1981 के नियम 5 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके, अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली, 1981 में और आगे संशोधन करके, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) संशोधन नियमावली, 1990 है ।

(2) ये जनवरी 1990 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली 1981 में विद्यमान अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

(देखें नियम 3)

[वित्त मंत्रालय) व्यय विभाग के दिनांक 15 मई, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(5)-ई. I/89 का अनुबंध]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980

प्रभावी होने की तारीख

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980, जिसका इसके बाद "योजना" के रूप में उल्लेख किया गया है। नवम्बर, 1980 को अधिसूचित की गई थी तथा यह योजना 1 जनवरी, 1982 के पूर्वाह्न से प्रभावी हुई ।

उद्देश्य

2. इस "योजना" का उद्देश्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कम लागत तथा पूर्णतः अंशदान एवं स्वतः विलय-पोषण के आधार पर, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों की सहायता के लिए और सेवा निवृत्ति पर उनके संसाधनों में वृद्धि करने के लिए एकमुश्त राशि दिए जाने का बीमा रक्षण का दोहरा लाभ प्रदान करना है ।

लागू होना

3.1 यह "योजना" सशस्त्र तथा अर्ध-सैनिक बलों के सदस्यों को छोड़कर, जिनके लिए कि पहले से ही उनकी अपनी अलग योजनाएं हैं रेलवे, डाक और तार तथा रक्षा में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी। ठेके पर रखे गए कर्मचारी, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य स्वायत्त संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी, विदेशों में भारतीय मिशनों में भर्ती किए गए स्थानीय कर्मचारी, अनियत मजदूर, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारी इस "योजना" के अन्तर्गत नहीं आएंगे। यह "योजना" उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगी जो 50 वर्ष की आयु हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती किए गए हैं। ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिन पर यह "योजना" लागू होती है इसके पश्चात् "कर्मचारी" कहा जाएगा।

3.2 ऐसे पुनर्नियुक्त रक्षा कार्मिक जो सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू समूह बीमा योजना के अंतर्गत विस्तारित बीमा रक्षण का लाभ उठा रहे हैं, तब तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे जब तक वे उक्त बीमा रक्षण का लाभ उठाना जारी रखेंगे। उस लाभ की समाप्ति पर तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन उन कार्मिकों को उनके अनुरोध पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 का सदस्य बनाने पर विचार किया जा सकता है।

सदस्यता

4.1 यह "योजना" उन सभी "कर्मचारियों" के लिए अनिवार्य होगी जो इस "योजना" के अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी सेवा में आते हैं अर्थात् 1 नवम्बर, 1980 के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इस "योजना" के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

4.2 जो "कर्मचारी" उस "योजना" के अधिसूचित होने की तारीख को केन्द्रीय सरकारी सेवा में थे, उनके पास यह विकल्प था कि वे 31 जनवरी, 1981 तक उस "योजना" से बाहर हो सकते थे। जिन "कर्मचारियों" ने उस तारीख तक उस "योजना" से बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें उस "योजना" के प्रभावी होने की तारीख से उस योजना का सदस्य मान लिया गया था। तथापि, जिन "कर्मचारियों" ने उस "योजना" से बाहर रहने का विकल्प चुना था उन्हें 20 फरवरी, 1982, 14 फरवरी, 1983, 30 मार्च, 1985 और 27 अक्तूबर, 1986 को उस "योजना" के सदस्य बनने के और अवसर प्रदान किए गये थे। उन सभी अवसरों पर विकल्प फार्म नं. 10 में दिया जाना था। उन कर्मचारियों को विकल्प का आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा जो 27 अक्तूबर, 1986 को दिए गए अवसर का लाभ उठाने में असफल रहे।

4.3 "योजना" प्रभावी हो चुकने के पश्चात् किसी भी वर्ष 2 जनवरी अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले सभी "कर्मचारियों" को "योजना" की अगली वर्षगांठ पर "योजना" के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाएगा।

सदस्यों द्वारा अंशदान

5.1 31 दिसम्बर, 1989 तक "योजना" के लिए 10 रु. प्रतिमाह की यूनिटों में अंशदान करना होगा। उसके बाद 1 जनवरी, 1990 से "योजना" के लिए अंशदान 15/-रू. प्रतिमाह की यूनिटों में होगा। वे सभी कर्मचारी जो 31 जनवरी, 1989 को इस "योजना" के सदस्य थे, उनके पास 15/-रू. प्रतिमाह के अंशदान वाली योजना से बाहर रहने का विकल्प है। इस विकल्प का प्रयोग 15 जून, 1989 तक कर दिया जाना चाहिए। जो कर्मचारी निर्धारित तारीख तक 15/-रू. प्रतिमाह वाली अंशदान यूनिट की "योजना" से बाहर रहने का विकल्प नहीं देते उनके बारे में यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 1990 से प्रभावी 15-रु. प्रतिमाह की अंशदान वाली यूनिटों की "योजना" में शामिल होने का विकल्प चुन लिया है। एक बार दिया गया (अथवा न दिया गया) विकल्प अंतिम समझा जाएगा तथा आगे कोई विकल्प देने का अवसर नहीं दिया जाएगा। दूसरे कर्मचारी जो 15/-रु. प्रतिमाह का अंशदान यूनिटों वाली "योजना" से बाहर रहने का विकल्प चुनते हैं, व "योजना" के लिए 10/-रु. प्रतिमाह का यूनिटों में अंशदान करना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि वे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण केन्द्रीय सरकार के रोजगार से अलग नहीं हो जाते।

5.2 समूह "घ" कर्मचारी एक यूनिट के लिए, समूह "ग" कर्मचारी दो यूनिटों समूह "ख" कर्मचारी चार यूनिटों तथा समूह "क" कर्मचारी आठ यूनिटों के लिए अंशदान करेंगे। इस प्रकार, इस योजना के ऐसे सदस्यों के लिए जो 15/-रु. प्रतिमाह का अंशदान यूनिटों की योजना से बाहर रहने का विकल्प देते हैं, समूह "घ" "ग", "ख" और "क" कर्मचारियों के लिए अंशदान का दर क्रमशः 10/-रु., 20/-रु., 40/रु और 80/-रु. प्रतिमाह होगी। दूसरे कर्मचारियों के मामले में "योजना" के लिए अंशदान की दर समूह "घ" "ग", "ख" और "क" कर्मचारियों के लिए क्रमश: 15/-रु., 30/-रु., 60/-रु और 120/रु प्रतिमाह होगी।

5.3 किसी कर्मचारी के एक समूह से दूसरे समूह में नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में, उस कर्मचारी का अंशदान "योजना" की अगली वर्षगांठ से उस समूह के स्तर के अनुरूप तक बढ़ा दिया जायेगा जिसमें उसकी पदोन्नति हुई है। "योजना" की अगली वर्षगांठ की तारीख तक, ऐसा कर्मचारी उसी राशि की बीमा रक्षण प्राप्त करता रहेगा जिसके लिए वह ऐसी पदोन्नति से पूर्व पात्र था।

उदाहरण के तौर पर यदि अंशदान की संशोधित दरें 1 जनवरी, 1990, से प्रभावी होती हैं तो एक समूह "घ" कर्मचारी जो फरवरी, 1990 में नियमित आधार पर समूह "ग" में पदोन्नत हो जाता है, वह दिसम्बर, 1990 तक 15 रु. प्रतिमाह की दर से ही अंशदान करना जारी रखेगा और अपने अंशदान के अनुरूप बचत निधि से मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त केवल 15000-रु के बीमा रक्षण के लिए पात्र होगा। जनवरी, 1991 से उसका अंशदान बढ़ाकर 30-रु. प्रतिमाह कर दिया जाएगा और वह कर्मचारी बचत निधि के समुचित लाभों के अतिरिक्त 30,000-रु. के बीमा रक्षण के लिए पात्र हो जाएगा।

5.4 यह पता होते हुए कि किसी व्यक्ति आधार पर जारी रहने की संभावना है, कभी-कभी "अगले आदेश होने तक" के आधार पर विभिन्न कारणों से नहीं की जा सकती है। इसलिए जब तक कोई पदोन्नति एक विनिर्दिष्ट तथा अल्पावधि के लिए न की गई हो तथा जब तक कोई पदोन्नति एक विनिर्दिष्ट तथा अल्पावधि के लिए न की गई हो तथा यह संभावना हो कि उस अवधि की समाप्ति पर वह कर्मचारी निचले समूह के किसी पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा, कर्मचारी को "योजना" के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर पदोन्नत हुआ माना चाहिए तथा तदनुसार ही अंशदान लिया जाना चाहिए। इस प्रश्न के बारे में कि क्या किसी कर्मचारी के निचले समूह के पद पर प्रत्यावर्तित होने की संभावना है, निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपने विवेक से लिया जा सकता है। एक बार यदि कोई व्यक्ति किसी उच्चतर समूह में शामिल कर या गया है तो उसके अंशदान की दर उसी स्तर पर जारी रहेगी भले ही वह कर्मचारी बाद में किसी भी कारण से निचले समूह के पद पर प्रत्यावर्तित क्यों न हो जाए।

सदस्यों के अतिरिक्त "कर्मचारियों" के लिए जोखिम-विकल्प और बीमा रक्षण

6. किसी भी वर्ष 2 जनवरी को अथवा उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा शुरू करने की तारीख से उनके

इस योजना के सदस्य बनने की तारीख तक बीमा रक्षण के प्रत्येक 15000 रु. के लिए बीमा किस्त के रूप में 5.00 रु. प्रतिमाह के अंशदान का भुगतान करने पर समुचित बीमा रक्षण का लाभ दिया जाएगा । "योजना" की वर्षगांठ की तारीख से वे ऊपर पैरा 5.2 में दर्शायी गई दर से अंशदान करेंगे ।

उदाहरण के तौर पर, यदि अंशदान की संशोधित दरें 1 जनवरी, 1990 से प्रभावी होती हैं तो फरवरी, 1990 में सेवा में आने वाला समूह "घ" का कोई कर्मचारी 15000 रु. के बीमा रक्षण के लिए दिसम्बर, 1990 तक 11 महीने की अवधि के लिए बीमा किस्त के रूप में 5.00 रु. प्रतिमाह का अंशदान अदा करेगा और जनवरी, 1991 से उसका अंशदान बढ़ाकर 15 रु. प्रतिमाह कर दिया जाएगा तथा वह 15000 रु. के बीमा रक्षण के अतिरिक्त बचत निधि के लाभों के लिए भी पात्र हो जाएगा । इसी प्रकार, फरवरी, 1990 में सेवा में आने वाला कोई समूह "ग" कर्मचारी 30,000 रु. के बीमा रक्षण के लिए दिसम्बर, 1990 तक 11 महीने की अवधि के लिए बीमा किस्त के रूप में 10 रु. प्रतिमाह के अंशदान का भुगतान करेगा और जनवरी, 1991 से उसका अंशदान बढ़ाकर 30 रु. प्रतिमाह कर दिया जाएगा तथा वह 30,000 रु. के बीमा रक्षण के अतिरिक्त बचत निधि के लाभों के लिए भी पात्र हो जाएगा ।

सदस्यों के लिए बीमा निधि तथा बीमा रक्षण

7.1 योजना के प्रत्येक सदस्य को बीमा रक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अंशदान का एक भाग बीमा निधि में डाल दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के लोक लेखे में रखा जाएगा । बीमा रक्षण की राशि 15 रु. प्रतिमाह के अंशदान का प्रत्येक यूनिट के लिए 15000 रु. तथा 10 रु. प्रतिमाह के अंशदान का प्रत्येक यूनिट के लिए 10,000 रु. होगा । यह राशि उन "कर्मचारियों" के परिवारों को अदा की जाएगी जिनकी केन्द्रीय सरकार की सेवा में रहते हुए दुर्घटनावश किसी कारण से, जिसमें आत्महत्या भी शामिल है, मृत्यु हो जाए ।

7.2 बीमा निधि के अन्तर्गत धनात्मक तथा ऋणात्मक शेष राशियों, डाकघर बचत बैंक जमाराशि पर मौजूदा ब्याज दर पर, जो इस समय 5½% प्रतिवर्ष है, आकलित ब्याज की राशि के साथ, जैसा भी मामला हो, क्रेडिट अथवा डेबिट की जाएंगी ।

बचत निधि

8.1 अंशदान की शेष राशि बचत निधि में डाली जाएगी । बचत निधि में धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक लेखे में रखी जाएगी । बचतों से जमा हुई कुल राशि तथा उस पर ब्याज सेवानिवृत्ति की आयु होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त होने अथवा केन्द्रीय सरकार में रहते उसकी सेवा समाप्त होने पर सदस्य को अथवा सेवा में रहते हुए सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को देय होंगे ।

8.2 बचत निधि से वास्तविक लाभ प्रत्येक वर्ष के लिए जारी की जाने वाली तालिका में दिखाए गए अनुसार होगा । तालिका प्रत्येक कर्मचारी के अंशदान तथा उसमें से 3.60 प्रति हजार होगा । तालिका प्रत्येक कर्मचारी के अंशदान तथा उसमें से 3.60 प्रति हजार प्रतिवर्ष की मृत्यु दर पर बीमा लागत घटा दिए जाने और 12% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज (तिमाही आधार पर संयोजित) के आधार पर तैयार की जाएगी । यदि किसी भी समय ब्याज की दर और/अथवा बीमा की लागत में परिवर्तन होता है तो बचत निधि से होने वाले लाभों में भी तदनुसार परिवर्तन होगा ।

8.3 सेवा में रहते हुए किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के मामले में बीमा राशि का भुगतान बचत निधि में से भुगतान के अतिरिक्त होगा ।

8.4 बचत निधि के अंतर्गत धनात्मक शेष राशि वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित ब्याज दर पर आकलित ब्याज राशि केवल जमा की जाएगी ।

8.5 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए बचत निधि में शेष राशि पर 10% प्रतिवर्ष (तिमाही आधार पर संयोजित) की दर पर और 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1986 तक की अवधि के लिए बचत निधि में शेष राशि पर 11% प्रतिवर्ष (तिमाही आधार पर संयोजित) की दर पर ब्याज अनुमत था 1 जनवरी, 1987 से बचत निधि में शेष राशि पर 12% प्रतिवर्ष (तिमाही आधार पर संयोजित) की दर पर ब्याज अनुमत है ।

अंशदान की वसूली

9.1 किसी सदस्य का किसी महीने का अंशदान उस महीने की पहली तारीख को सामान्य कार्य-समय प्रारम्भ होने पर देय हो जाएगा ।

9.2 बीमा रक्षण के लिए बीमा किस्त के रूप में अंशदान सरकारी सेवा शुरू करने की तारीख से "योजना" की सदस्यता की तारीख तक प्रारम्भतः कार्यभार संभालने की तारीख से तथा बाद में प्रत्येक माह की पहली तारीख को सामान्य कार्य-समय चालू होने पर देय हो जाएगा ।

9.3 किसी भी महीने के लिए अंशदान "कर्मचारी" के उस महीने के वेतन/मजदूरी में से वसूल कर लिया जाएगा चाहे उस महीने के वेतन/मजदूरी के वास्तविक भुगतान की तारीख कोई भी हो ।

9.4 अंशदान प्रत्येक महीने वसूल किया जाएगा जिसमें वह महीना भी शामिल होगा जिसमें "कर्मचारी" सेवा निवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, बरखास्तगी इत्यादि के कारण रोजगार से अलग हो जाएगा ।

9.5 आहरण और संवितरण अधिकारी "कर्मचारियों" से अंशदान वसूल करेगा चाहे वे ड्यूटी पर, छुट्टी पर अथवा निलंबित हों ।

9.6 यदि वेतन/मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के कारण अंशदान की वसूली नहीं की जा सकी हो तो अंशदान की बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा ।

9.7 यदि कोई "कर्मचारी" असाधारण छुट्टी पर है और किसी अवधि के लिए उसके वेतन/मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है तो उन महीनों के लिए अंशदान जिनके लिए उसको कोई वेतन/मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, बचत निधि में जमा राशियों पर "योजना" के अन्तर्गत स्वीकार्य ब्याज सहित निकटतम रु. में पूर्णांकित करते हुए, "कर्मचारी" के छुट्टी के बाद कार्यभार संभालने के महीने के अगले महीने से शुरू करके उसके वेतन/मजदूरी में से अधिक से अधिक तीन किस्तों में वसूल किया जाएगा । यदि किसी "कर्मचारी" की असाधारण छुट्टी पर रहते हुए मृत्यु हो तो उसके प्रति देय अंशदान और बचत निधि में जमा राशियों पर "योजना" के अन्तर्गत स्वीकार्य ब्याज की वसूली निकटतम रूपए में पूर्णांकित करते हुए "योजना" के अन्तर्गत परिवार को स्वीकार्य भुगतान योग्य राशि में से वसूल की जाएगी ।

उदाहरणार्थ यदि कोई समूह "घ" कर्मचारी 5.2.1990 से 4.12.1990 तक दस महीने की असाधारण छुट्टी पर चला जाता है और उसे मार्च, 1990 से नवम्बर, 1990 तक किसी भी दिन का वेतन/मजदूरी अदा नहीं की जाती है तो उसके कुल 135 रु. के अंशदान तथा 12% प्रतिवर्ष की दर पर आकलित चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली जनवरी, 1991 से प्रारम्भ करके तीन किस्तों में की जाएगी ।

9.8 यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अथवा इतर सेवा में जाता है तो कर्मचारी के मांगकर्ता प्राधिकारी/इतर नियोक्ता से अंशदान की वसूली करने तथा उसे संबंधित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु अनुरोध किया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिनियुक्ति/इतर सेवा की शर्तों में इस आशय का एक आवश्यक उपबंध शामिल किया जाए । इस राशि की वसूली की निगरानी छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान पर लागू तारीख से रखनी होगी । यदि किसी भी समय अंशदान की वापसी की राशि बकाया रह जाती है तो वह बकाया राशि "योजना" के अन्तर्गत बचत निधि में जमा राशि पर स्वीकार्य ब्याज सहित वसूल की जाएगी जो तीन शर्तों से अधिक में नहीं होगी ।

सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से अंशदान का वित्त व्यवस्था

10.1 सामान्यतः, सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से "योजना" का वित्त पोषण करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि यदि किसी अवस्था में किसी सदस्य विशेष की स्थिति उसे यह इजाजत न दे कि वह "योजना" के लिए तथा सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि के लिए एक साथ अंशदान कर सके, उसे एक अलग संव्यवहार के रूप में सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि में से "योजना" में किए गए एक वर्ष के अंशदान की राशि के बराबर अप्रतिदेय अग्रिम निकलाने की स्वीकृति दी जा सकती है।

10.2 "योजना" में अंशदान, ऐसे अंशदान के कारण सामान्य अंशदायी भविष्य निधि से अंतिम रूप से वापस ली गई राशि की सीमा के अलावा उस कटौती का एक हिस्सा होगा जो आयकर के प्रयोजन के लिए अंशदाता की कुल आय की गणना करने में बीमा किस्तों, भविष्य निधि इत्यादि में अंशदान के संदर्भ में स्वीकार्य है।

बीमा निधि/बचत निधि में से भुगतान

11.1 यदि कोई "कर्मचारी" अधिवर्षिता की आयु होने पर सेवा निवृत्त हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से उसकी केन्द्रीय सरकारी सेवा समाप्त हो जाती है और उसकी सेवा पुस्तिका से यह पता चल जाता कि वह "योजना" का सदस्य रहा है तो फार्म सं. 4 में एक साधारण आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष सदस्यकी बचत निधि में जमा राशि का भुगतान किए जाने हेतु एक स्वीकृति जारी करेगा।

11.2 यदि किसी "कर्मचारी" की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और उसकी सेवा-पुस्तिका से यह पता चल जाता है कि वह योजना का सदस्य था तो कार्यालय अध्यक्ष संबंधित सरकारी कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों को फार्म सं. 51 में लिखेगा कि वे फार्म सं 6 में आवेदन प्रस्तुत करें तथा उसके प्राप्त होने पर बीमा राशि तथा बचत निधि में संचित राशि की उसे/उन्हें भुगतान किए जाने हेतु स्वीकृति जारी करेंगे।

11.3 योजना के किसी "सदस्य" की सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में, यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो बीमा राशि प्राप्त करने का पात्र है "योजना" के सदस्य की हत्या करने अथवा ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप है, उसका/उसकी बीमा राशि प्राप्त करने का दावा तब तक निलंबित रहेगा जब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थापित की गई दांडिक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। यदि दांडिक कार्यवाही के निष्कर्ष से संबंधित व्यक्ति पर हत्या अथवा हत्या में उकसाने का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे बीमा राशि में उसके हिस्से से वंचित कर दिया जाएगा और उसका हिस्सा अन्य पात्र व्यक्तियों में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा। तथापि दांडिक कार्यवाही के निष्कर्ष से यदि संबंधित व्यक्ति हत्या अथवा हत्या के लिए उकसाने के आरोप से मुक्त हो जाता है तो बीमा राशि में उसके हिस्से की राशि उसको उस राशि पर बिना किसी ब्याज के अदा कर दी जाएगी।

11.4 यदि "योजना" का कोई सदस्य लापता हो जाता है और उसका पता नहीं मिलता है तो सदस्य के लापता होने के अगले माह से 7 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद लापता व्यक्ति के नामित व्यक्तियों/वारिसों को बीमा रक्षण राशि का भुगतान कर दिया जाएगा बशर्ते कि दावेदार व्यक्ति सदस्य की मृत्यु अथवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में यथा निर्धारित न्यायालय की इस आशय की डिग्री कि संबंधित कर्मचारी को मृत समझा जाए, का उचित तथा अविवाद साक्ष्य प्रस्तुत करें। तथापि, बचत निधि में जमा राशि का भुगतान सदस्य के लापता होने के अगले महीने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नामित व्यक्तियों/वारिसों को निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर कर दिया जाए : –

(i) परिवार को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और यह रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी कि पुलिस के पूरे प्रयास करने के बावजूद भी कर्मचारी को कोई पता नहीं मिला।

(ii) कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों से इस आशय का क्षतिपूर्ति बन्धपत्र लिया जाना चाहिए कि यदि कर्मचारी स्वयं उपस्थित हो जाता है और अपना कोई दावा पेश करता है तो सभी भुगतान कर्मचारी को देय भुगतान राशि के प्रति समायोजित कर दिए जाएंगे।

11.5 लापता कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों से कर्मचारी के लापता होने की तारीख को लागू अंशदान की दर पर कर्मचारी के लापता होने के महीने से अगले महीने से एक वर्ष की अवधि के लिए पूरा अंशदान वसूल किया जाना जारी रहेगा। उसके पश्चात् 15000 रु. के प्रत्येक बीमा रक्षण के लिए 4.50 रु. प्रतिमाह की दर से अगले छः वर्षों की अवधि के लिए या उस माह तक के लिए जब तक कि बीमा रक्षण राशि का भुगतान किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हों, बीमा रक्षण हेतु बीमा किस्त की राशि वसूल की जाएगी। तथापि यदि एक पूरे वर्ष के लिए पूरा अंशदान तथा बचत निधि में जमा राशि पर स्वीकार्य दर पर ब्याज की वसूली एक वर्ष पश्चात् देय बचत निधि में से की जाती है तो यह स्वीकार्य होगा। इसी प्रकार, बीमा रक्षण के प्रत्येक 15000/– रु. के लिए 4.50 रु. प्रतिमाह की दर पर अगले छः वर्षों के लिए बीमा किस्त तथा उस पर बचत निधि में संचित राशि स्वीकार्य दर पर ब्याज की वसूली भी सदस्य के लापता होने के बाद वाले महीने से सात वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि में से की जाए।

11.6 पैरा 11.4 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन लापता कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/वारिसों को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा चाहे लापता कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख उसके लापता होने के बाद वाले महीने से सात वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही क्यों न पड़ती हो।

11.7 जिस "कर्मचारी" को केवल बीमा रक्षण का ही लाभ है उसके नामित व्यक्तियों/वारिसों को वही राशि देय होगी जो उसके समूह के लिए उपयुक्त बीमा राशि होगी।

11.8 "योजना" के ऐसे सदस्यों को जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, देय राशि निम्नानुसार होगी : –

(क) समुचित बीमा की वह राशि जिसका वह मृत्यु के समय पात्र था ;

(ख) निम्नतम समूह में उसकी सदस्यता की संपूर्ण अवधि के लिए बचत निधि में से देय राशि; और

(ग) उच्चतर में नियुक्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्येक अवसर पर उसके बढ़ाए गए अंशदान की अतिरिक्त यूनिटों के लिए अंशदान की दर बढ़ाए जाने से उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए देय राशि/राशियां।

उदाहरण I

यदि कोई समूह "ब" कर्मचारी जो जनवरी 1984 से "योजना" का सदस्य है, 5 वर्ष तथा 15 वर्ष बाद क्रमशः समूह "ग" और "ख" की सदस्यता प्राप्त करता है और इन सभी समूहों में 30 वर्ष की कुल सदस्यता के पश्चात् सेवाकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नामित व्यक्ति(यों) को निम्नानुसार राशियां अदा की जाएंगी : –

(i) मृत्यु की तारीख को समूह "ख" कर्मचारी होने की सूरत में 60 रु. के मासिक अंशदान पर देय 60000 रु. की बीमा राशि।

(ii) जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1989 तक 10 रु. के मासिक अंशदान और जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1013 तक 15 रु. के मासिक अंशदान पर (कुल 30 वर्ष) बचत-निधि से देय राशि।

(iii) जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1989 तक 10 रुपये (20 रुपये-10 रुपये) के मासिक अंशदान और जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 2013 तक 15 रु. (30 रु–15 रु.) के मासिक अंशदान पर (कुल 25 वर्ष) बचत निधि से देय राशि ।

(iv) जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2013 (कुल 15 वर्ष) 30-60 रु. के मासिक अंशदान पर बचत निधि से देय राशि ।

उदाहरण II

यदि कोई समूह "ख" कर्मचारी जनवरी, 1990 से "योजना" का सदस्य बनता है और 5 वर्ष, 15 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा के पश्चात क्रमश : समूह "ग", समूह "ख" और समूह "क" का सदस्य बन जाता है तथा इन सभी समूहों में कुल सदस्यता के 31 वर्ष के पश्चात् सेवा करते हुए मर जाता है तो उसके नामित/नामितों को निम्नलिखित राशियों की मात्रा अदा की जाएगी : –

(i) मृत्यु की तारीख को समूह "क" कर्मचारी होने के नाते 120 रु. के मासिक अंशदान पर देय 1,20,000 रु. की बीमा राशि ।

(ii) 31 वर्षों के लिए 15रु. के मासिक अंशदान पर बचत निधि से देय राशि ।

(iii) 26 वर्षों के लिए 15 रु. (30 रु.–15रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से देय राशि ।

(iv) 16 वर्षों के लिए 30 रु. (60 रु.–30 रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से देय राशि ।

(v) 1 वर्ष के लिए 60 रु. (120 रु.-60 रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से देय राशि ।

11.9 ऐसे कर्मचारी को जो त्याग-पत्र, सेवा निवृत्ति आदि के कारण केन्द्रीय सरकार की सेवा से अलग हो जाता है, भुगतान योग्य राशि इस प्रकार होगी : –

(क) निम्नतम समूह में उसकी सदस्यता की कुल अवधि के लिए बचत निधि से उसको देय राशि; और

(ख) उच्चतर समूह में नियुक्ति, पदोन्नति के कारण प्रत्येक अवसर बढ़ाए गए उन के अंशदान तक अतिरिक्त यूनिटों के लिए इस प्रकार बढ़ाए गए अंशदान की दर की तारीख से उसके सदस्यता से अलग होने की तारीख तक की अवधि के लिए उनको देय राशि अथवा राशियां ।

उदाहरण 1

यदि कोई समूह "ग" कर्मचारी, जो जनवरी, 1983 से "योजना" का सदस्य है, सेवा के 10 और 20 वर्ष पश्चात् क्रमश : समूह "ख" और "क" में सदस्यता प्राप्त करता है और इन सभी समूहों में कुल सदस्यता के 30 वर्ष पश्चात् अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवामुक्त होता है तो उसको निम्नलिखित राशियों की मात्रा अदा की जाएगी : –

(i) जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1989 तक 20 रु. के मासिक अंशदान पर और जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 2012 तक (कुल 30 वर्ष) 30 रु. के मासिक अंशदान पर बचत निधि से उसको देय राशि ।

(ii) जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 2012 तक (कुल 20 वर्ष) 30 रु. (60 रु.-30 रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से उसको देय राशि ।

(iii) जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2012 तक (कुल 10 वर्ष) 60 रु. (120 रु.-60 रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से उसको देय राशि ।

उदाहरण 2

यदि कोई समूह "ग" कर्मचारी, जो जनवरी, 1991 से "योजना" का सदस्य बनता है, सेवा के 15 और 25 वर्षों के पश्चात् क्रमश: समूह "ख" और समूह "क" में सदस्यता प्राप्त करता है और इन सभी समूहों में कुल सदस्यता के 32 वर्ष के पश्चात् अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति हो जाता है तो उसको निम्नलिखित राशियों की मात्रा अदा की जाएगी : –

(i) 32 वर्षों के लिए 15 रु. के मासिक अंशदान पर बचत निधि से उसको देय राशि ।

(ii) 17 वर्षों के लिए 15 रु. (30 रु.–15 रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से उसको देय राशि ।

(iii) 7 वर्षों के लिए 30 रु. (60 रु.-30 रु.) के मासिक अंशदान पर बचत निधि से उसको देय राशि ।

11.10 यदि कोई कर्मचारी किसी महीने के दौरान उससे उस महीने के लिए अंशदान की वसूली से पहले मर जाता है तो उसकी देय राशियों का भुगतान अंशदान घटाने के पश्चात् किया जाएगा ।

11.11 यदि कोई कर्मचारी किसी अखिल भारतीय सेवा में बाद में आता है तो उसका मामला वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से विनियमित किया जाएगा ।

बीमा निधि/बचत निधि से निकासियां

12.1 "योजना" के किसी सदस्य अथवा लाभग्राही के लिए उस बचत निधि में से, जिसमें उसके द्वारा अंशदान किया जा रहा है, किसी राशि के निकालने की अनुमति नहीं होगी । सेवा के दौरान योजना के किसी सदस्य की मृत्यु पर निधि से देय राशि का हिसाब पैरा 11.8 के अनुसार लगाया जाएगा और उसका भुगतान अलग से निर्धारित लेखाकरण पद्धति के अनुसार उसके नामित/नामितों को किया जाएगा ।

12.2 योजना के किसी सदस्य के लिए उस बचत निधि में से, जिसमें उसके द्वारा अंशदान किया जा रहा है, किसी राशि के निकालने की अनुमति नहीं होगी । त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति आदि के कारण उसके नौकरी से अलग हो जाने पर निधि से उसको देय राशि का हिसाब पैरा 11.9 के अनुसार लगाया जाएगा और उसका भुगतान उसे अथवा उसके नामित/नामितों को अलग से निर्धारित लेखा-पद्धति के अनुसार किया जाएगा ।

बीमा-निधि/बचत निधि से अथवा उसमें संचित राशि से ऋण/अग्रिम

13.1 योजना के किसी सदस्य अथवा अन्य लाभग्राही को उस बीमा निधि/बचत निधि में संचित राशि में से, जिसमें उसके द्वारा अंशदान किया जा रहा है कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया जाएगा ।

13.2 योजना का कोई सदस्य, जिसने सरकार से गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त किया है, वह कोई भूखंड अथवा तैयार शुदा मकान/फ्लैट अधिग्रहण करने के लिए अथवा मकान/फ्लैट बनाने के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से अपना बीमा रक्षण तथा बचत निधि में संचित राशि किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान को समनुदेशित कर सकता है । यदि "योजना" का कोई सदस्य फार्म न. 11 में विहित रूप में अनुरोध करता है तो बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को समनुदेशित करने के लिए विभागाध्यक्ष की विशेष स्वीकृति लेकर अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि सरकार द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम की कुल राशि और वित्तीय संस्थान के सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की राशि दोनों मिलाकर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा अवधि में अधिक न हो ।

13.3 यदि "योजना" के सदस्य के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई भूखंड है और वह उस भूखंड पर मकान बनाने का प्रस्ताव करता है अथवा यदि "योजना" का कोई सदस्य अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैयार शुदा मकान/फ्लैट अथवा कोई भूखंड अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करता है तो उसे मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को समनुदेशित करने की अनुमति होगी।

13.4 विभागाध्यक्ष बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को समनुदेशित करने के लिए अपनी स्वीकृति की सूचना कर्मचारी को फार्म सं. 12 में देगा। फार्म सं. 11 में कर्मचारी का अनुरोध और फार्म संख्या 12 में स्वीकृति की सूचना लाल स्याही से सेवा अभिलेख में निम्नलिखित प्रविष्टि के साथ कर्मचारी के सेवा अभिलेख में चिपका दी जाएगी :—

"श्री/श्रीमती/कुमारी ....
(कर्मचारी का नाम)
को उसके अनुरोध पर केन्द्रीय सरकारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत अपने बीमा रक्षण और बचत निधि में संचित राशि को ....
(मान्यताप्राप्त वित्तीय
.... के पास समनुदेशित करने की अनुमति
संस्थान का नाम)
पत्र सं. .... दिनांक .... द्वारा दी गई।

13.5 योजना के अन्तर्गत "कर्मचारी" अथवा उसके नामिति/तों के दावों का निपटारा करते समय ऋण के कारण कर्मचारी से देय के रूप में वित्तीय संस्थान द्वारा कर्मचारी से प्राप्य ऋण की राशि के बारे में किए गए दावे की राशि बिना किसी विस्तृत संवीक्षा के संस्थान को अदा की जाएगी और केवल शेष राशि, यदि कोई हो, कर्मचारी अथवा उसके नामिति (तों) को अदा की जाएगी।

बीमा निधि/बचत निधि में संचित राशियों का उपयोग

14. बीमा निधि/बचत निधि में संचित राशियां केन्द्रीय सरकार के अधिकार में होंगी। चूंकि यह योजना पूर्णतः स्वावलम्बी तथा स्वतः वित्त पोषित है। अतः ये संचित राशियां अधिकांश रूप से आवास योजनाओं के स्वामित्व तथा योजना के सदस्यों के लाभ की अन्य योजनाओं हेतु उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है।

योजना को अधिसूचित करने का ढंग

15. यह "योजना" सूचनापट्ट पर उसकी प्रति लगाकर "कर्मचारियों" को अधिसूचित की जाएगी अथवा जहां ऐसा सूचनापट्ट उस भवन के प्रमुख स्थान पर जहां कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, सुलभ नहीं है तो "योजना" की कुछ प्रतियां कर्मचारियों की मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों को भी प्रदान कर दी जाएं।

योजना की अधिसूचना पर कार्यवाही

16. जिस महीने में यह "योजना" अधिसूचित की जाती है उससे आगे आने वाले प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक कार्यालयाध्यक्ष उन व्यक्तियों के नाम, समूह, जन्म तिथि और नियुक्ति की तारीख आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजेगा जो पूर्ववर्ती महीने के दौरान केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्त किए जाएं और जो योजना के पैरा 3 की शर्तों के अनुसार "योजना" के सदस्य बनाए जाने के पात्र हैं।

लागू होने वाली "योजना" पर कार्यवाही

17.1 योजना लागू होने के महीने की 10 तारीख तक कार्यालयाध्यक्ष को प्रत्येक उस कर्मचारी का, जो योजना के अधिसूचित करने की तारीख को सरकारी सेवा में था किन्तु जिसने योजना से बाहर रहने का विकल्प नहीं दिया था, नाम, समूह और जन्मतिथि निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण-पत्र आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजना होगा।

17.2 "योजना" के प्रत्येक सदस्य को उसके पंजीकरण की तारीख, कटौती किए जाने वाले अंशदान और जिन लाभों को प्राप्त करने का वह पात्र होगा, के बारे में फार्म सं. 1 में सूचित किया जाएगा। एक समूह से दूसरे समूह में उसकी नियमित पदोन्नति होने पर उसे इसी प्रकार फार्म सं. 2 में सूचित किया जाएगा।

17.3 उन कर्मचारियों द्वारा दिया गया विकल्प फार्म सं. 3 में होगा जो योजना के अधिसूचित होने की तारीख को पहले से ही सरकारी सेवा में थे जिसे संबंधित व्यक्तियों की सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाना होगा।

सदस्यों का रजिस्टर

18. कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्यों का समूहवार रजिस्टर फार्म सं. 9 में बनाया जाता है और अद्यतन रखा जाता है यह रजिस्टर वर्ष में एक बार संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी के पास यह जांच करने और इस आशय का प्रमाण-पत्र अभिलिखित करने के लिए भेजा जाएगा कि उन सभी कर्मचारियों के उपयुक्त अंशदान की वसूली की जा रही है जो योजना के अंतर्गत बीमा निधि अथवा बीमा निधि और बचत निधि दोनों में सम्मिलित हैं।

नामांकन

19.1 कार्यालयाध्यक्ष "योजना" के प्रत्येक सदस्य से उस राशि के प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व उसकी मृत्यु होने की दशा में इस योजना के अंतर्गत देय हो, एक या अधिक व्यक्तियों के बारे में नामांकन प्राप्त करेगा। योजना के अधिसूचित किए जाने की तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने वाले "कर्मचारियों" के मामले में ऐसे नामांकन कार्यभार संभालने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त किए जाएंगे।

19.2 यदि योजना का सदस्य नाबालिग है तो उसे वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

19.3 यदि "योजना" के सदस्य का परिवार नामांकन करने के समय है तो वह ऐसा नामांकन केवल अपने परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में करेगा/करेगी। इस प्रयोजन के लिए परिवार का वही अर्थ होगा जो उसके संबंध में सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 अथवा अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962, जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किया गया है।

19.4 यदि "योजना" की कोई महिला सदस्य अपने परिवार से अपने पति को बाहर करने की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को लिखित रूप में व्यक्त करती है तो भविष्य में उन मामलों में जिनसे "योजना" का संबंध है, उसके पति को परिवार का सदस्य तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह सदस्य बाद में इस प्रकार की सूचना को लिखित रूप से रद्द न कर दे।

19.5 किसी परिवार के सदस्य/के सदस्य होते हुए बीमा राशि आदि की अदायगी से पूर्व यदि उस परिवार के नामित सदस्य/सदस्यों के बारे में ऐसे मामले हों जिनमें अवयस्क भाई वयस्कता की उम्र पार करने, अविवाहित बहिन का विवाह होने तथा विधवा का पुनर्विवाह होने पर ऐसे सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन अवैध हो जाएगा।

19.6 यदि कोई सदस्य एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे नामितों में से प्रत्येक को देय भाग की राशि का उल्लेख नामांकन में इस प्रकार करना चाहिए कि "योजना" के अंतर्गत देय समस्त राशि पूरी-पूरी कवर हो जाए ऐसा न होने पर "योजना" के अन्तर्गत देय राशि नामितों में बराबर-बराबर विभक्त कर दी जाएगी।

19.7 नामांकन जैसा परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो, फार्म सं. 7 या फार्म सं. 8 में किया जाएगा—

19.8 योजना का सदस्य किसी भी समय उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नए नामांकन के साथ कार्यालयाध्यक्ष को एक नोटिस भेजकर पुराने नामांकन को रद्द कर सकता है।

19.9 सदस्यों से प्राप्त नामांकन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे और उनकी सेवा पुस्तिकाओं में चिपकाए जाएंगे। कार्यालयाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टि भी करेगा कि नामांकन विधिवत् रूप से प्राप्त हो गया है।

19.10 यदि "योजना" का कोई सदस्य वैध नामांकन किए बिना मर जाता है तो, यदि कोई नामांकन सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत किया गया है तो उसे इस "योजना" के प्रयोजन के लिए भी स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खातों के लिए भी कोई नामांकन नहीं है तो इस "योजना" के अन्तर्गत देय राशि निम्न प्रकार से अदा की जाएगी :—

(क) समस्त राशि विधवा/विधवाओं, अवयस्क पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों में बराबर हिस्सों में विभक्त कर दी जाए बशर्ते कि एक से अधिक विधवा के मामले में दूसरी और बाद के विवाह के लिए केन्द्रीय सरकार की विधिवत स्वीकृति हो. अवयस्क पुत्रों और पुत्रियों के मामले में उनकी माता, जो मुस्लिम न हो, देय राशि प्राप्त करने के लिए मूल रूप से संरक्षक समझी जाएगी। संरक्षण प्रमाण-पत्र मुस्लिम महिला के अवयस्क पुत्रों और पुत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है।

(ख) उपर्युक्त "क" के अंतर्गत पात्र सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति में अदायगी परिवार के अन्य सदस्यों में बराबर हिस्सों में की जाए जैसा कि सामान्य भविष्य निधि केन्द्रीय (सेवा) नियम, 1960/अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 में निर्धारित किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत पात्र सदस्य/सदस्यों की अनुपस्थिति में भी अदायगी उपर्युक्त मदों (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले अन्य कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को की जाए।

19.11 पैरा 10.10 की मद (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले दावेदारों के मामले में अदायगी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आग्रह के बिना कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी किन्तु पैरा 19.10 की मद (ग) के अन्तर्गत आने वाले दावेदारों को अदायगी की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

20. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1977

व्यय विभाग के 23 जून, 1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. 60/14/77-आई.सी. के द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1977 उन कर्मचारियों के लिए जारी रहेगी जिन्होंने सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र मृत्यु आदि के कारण केन्द्रीय सरकार के रोजगार से बाहर रहने तक केन्द्रीय सरकारी समूह बीमा योजना, 1980 में शामिल न होने का विकल्प दिया है।

लेखाकरण :

21.1 योजना से संबंधित लेनदेनों का लेखा अनुबंध में दी गई पद्धति के अनुसार रखा जाएगा।

21.2 "योजना" के किसी सदस्य से वसूली योग्य सरकारी देय राशियों का पैरा 13.5 में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त इस "योजना" के अन्तर्गत भुगतान-योग्य राशियों के साथ समायोजन नहीं किया जाएगा।

निर्वचन और स्पष्टीकरण :

22.1 यदि कर्मचारियों की कुछ श्रेणियां समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" अथवा समूह "घ" में विशेष रूप से वर्गीकृत नहीं की गई हैं तो उनका वर्गीकरण केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत इस संबंध में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार माना जाएगा।

22. "योजना" के वास्तविक कार्यान्वयन में इस "योजना" के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता अथवा किसी मुद्दे के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो मामले को वित्त मंत्रालय में भेज दिया जाए जिसका निर्णय अंतिम होगा।

योजना की समीक्षा :

23. "योजना" की कार्यप्रणाली की प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाएगी कि "योजना" स्वतः वित्त पोषित और स्वावलम्बी बनी रहे।

फार्म सं. 1

भारत सरकार

.... मंत्रालय

.... विभाग/कार्यालय

दिनांक ....

ज्ञापन

श्री* .... समूह .... कर्मचारी को .... से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। उनके .... रु. (रु.) का मासिक अंशदान .... माह से शुरू करते हुए उनके वेतन/मजदूरी में से काटा जाएगा और वे .... से समूह .... के अनुरूप योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे।

(कार्यालयाध्यक्ष)

सेवा में,

श्री* ....

*कर्मचारी का नाम और पदनाम

फार्म सं. 2

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग/कार्यालय

दिनांक .....

आपन

श्री* ..... को दिनांक ..... से समूह से

..... समूह ..... में नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 में उनका मासिक अंशदान ..... माह से ..... रु. से बढ़ाकर ..... रु. कर दिया जाएगा और वे ..... से समूह ..... के अनुरूप योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे।

(कार्यालयाध्यक्ष)

सेवा में,

श्री* .....

*कर्मचारी का नाम और पदनाम

फार्म सं. 3

सेवा में,

(कार्यालयाध्यक्ष)

महोदय,

मैंने नई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मुझे योजना के ब्यौरे स्पष्ट कर दिए गए हैं। मैं इस नई "योजना" से बाहर रहने का विकल्प देता हूं।

भवदीय,

( )

कर्मचारी का नाम और पदनाम

स्थान .....

दिनांक .....

सेवा में,

फार्म सं.

.....*

.....

विषय :— केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत संचित राशि की अदायगी के लिए आवेदन पत्र।

महोदय, मैं .....** से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 का सदस्य रहा हूं। मैं ..... वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने पर सेवा निवृत्त हो चुका हूं। मैं .....से केन्द्रीय सरकार की नौकरी में नहीं रहा हूं। केन्द्रीय सरकार से सेवानिवृत्ति/नौकरी समाप्त होने से पूर्व मैं ..... पद पर था। अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जो राशि मुझे देय है उसका मुझे भुगतान कर दिया जाए।

भवदीय,

( )

*कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम तथा पता

**इस योजना के सदस्य होने के माह तथा वर्ष का यहां पर उल्लेख किया जाए।

फार्म सं. 5

सं.....
भारत सरकार
.....मंत्रालय
.....विभाग
.....का कार्यालय

दिनांक .....

सेवा में,

*.....

.....

विषय :— केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत देय राशि की अदायगी।

प्रिय महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व. श्री *..... ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत देय राशि की पूर्ण रूप में/..... प्रतिशत राशि की अदायगी के लिए आपको नामित किया है इसलिए आपसे अनुरोध है कि अदायगी की व्यवस्था किए जाने हेतु संलग्न फार्म सं. 6 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

( )

*नामित व्यक्ति का नाम तथा पता

फार्म सं. 6

सेवा में,

*_____

_____

विषय :— केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के अन्तर्गत स्वर्गीय श्री.....को देय राशि का भुगतान करने के संबंध में आवेदन पत्र।

महोदय,

आपके दिनांक ..... के पत्र सं. ..... के संदर्भ में मैं एतद्द्वारा अनुरोध करता/करती हूं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अन्तर्गत स्व. श्री .....को देय राशि की पूर्ण/प्रतिशत राशि की मुझे अदायगी कर दी जाए।

भवदीय,

( )

*उस कार्यालय का नाम और पता जहां से फार्म सं. 5 प्राप्त हुआ।

फार्म सं. 7

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत लाभ हेतु नामांकन।

जब सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार न हो और वह एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति नामित करना चाहता हो।

मैं, जिसका कोई परिवार नहीं है, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूं तथा उसे/उन्हें यह अधिकार प्रदान करता हूं कि वे नीचे उल्लिखित सीमा तक कोई भी राशि प्राप्त कर सकते हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना,

1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाकाल के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने पर स्वीकृत की जाए अथवा जो राशि मेरी अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर देय हो गई हो किन्तु मेरी मृत्यु पर असंदत्त रह जाए।

नामिती/नामितियों के नाम तथा पते	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	प्रत्येक को अदा किया जाने वाला* राशि-हिस्सा	वे आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नामांकन रद्द हो जाएगा	उस व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संबंध जिसको नामित की सरकारी कर्मचारी से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका हक चला जाएगा
1.					
2.					
3.					

दिनांक .....19 को .....में दो गवाहों के हस्ताक्षर :

1.
2.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान दें :—

सरकारी कर्मचारी अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर एक लाइन खींच दें ताकि उनके हस्ताक्षर करने के बाद कोई अन्य नाम उनमें न जोड़े जा सकें।

*इस कालम को इस प्रकार से भरा जाना चाहिए कि बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त राशि उसमें शामिल हो जाए।

**जहां सरकारी कर्मचारी, जिसका कोई परिवार नहीं है, नामांकन करता है, वह इस कालम में यह विनिर्दिष्ट करे कि बाद में परिवार के होने पर यह नामांकन रद्द हो जाएगा।

फार्म सं. 8

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत लाभ हेतु नामांकन।

जब सरकारी कर्मचारी का परिवार है और वह एक अथवा एक से अधिक सदस्य नामित करना चाहता हो।

मैं एतदद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का सदस्य है/ के सदस्य हैं तथा उसे/उन्हें यह अधिकार प्रदान करता हूं कि नीचे उल्लिखित सीमा तक कोई भी राशि प्राप्त कर सकते हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाकाल के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने पर स्वीकृत की जाए अथवा जो राशि मेरी अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर देय हो गई हो किन्तु मेरी मृत्यु पर असंदत्त रह जाए :—

नामित/नामितियों के नाम तथा पते	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	प्रत्येक को अदा किया *जाने वाला हिस्सा	वे आकस्मिकताएं जिनके घटने पर नामांकित रद्द हो जाएगा।	उस व्यक्ति यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संबंध जिसको नामित/की सरकारी कर्मचारी से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका हक चला जाएगा
1.					
2.					
3.					

विशेष ध्यान दें :—

सरकारी कर्मचारी अपनी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर एक लाइन खींच दें ताकि उनके हस्ताक्षर करने के बाद कोई अन्य नाम उनमें न जोड़े जा सकें।

दिनांक .....19.....को.....में दो गवाहों के हस्ताक्षर

1.
2.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

*इस कालम को इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि बीमा योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त राशि उसमें शामिल हो जाए।

फार्म सं. 9

केन्द्रीय सरकारी समूह बीमा योजना, 1980

सदस्यों का रजिस्टर समूह ————————

भाग–1 : उन कर्मचारियों के ब्यौरे जो केवल बीमा राशि में अंशदान कर रहे हैं।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	नियुक्ति की तारीख	वह तारीख जबसे अंशदान करना शुरू किया	उच्चतर समूह में पदोन्नति की तारीख/अन्य विभागों में स्थानान्तरण की तारीख	मृत्यु की तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भाग – II : बीमा निधि और बचत निधि दोनों ही में अंशदान करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	नियुक्ति की तारीख	वह तारीख जबसे अंशदान करना शुरू किया	उच्चतर समूह में पदोन्नति की ता० अन्य विभागों में स्थानान्तरण की तारीख	सदस्यता समाप्त होने की तारीख और उसके कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

फार्म सं. 10

सेवा में,

कार्यालय अध्यक्ष,

महोदय,

वित्त मंत्रालय के 27 अक्तूबर, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7 (6)–संस्था–1/86 के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा अनुरोध करता हूं कि मुझे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के समूह ..... में उसमें उल्लिखित शर्तों पर 1-1-1987 से सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए। मैं योजना के प्रावधानों के अनुसार ..... रु. के अंशदान की वसूली के लिए सहमत हूं ताकि मुझे योजना के अन्तर्गत बचत निधि के लाभों के अलावा 1 जनवरी, 1987 के सामान्य कार्य समय आरम्भ होने से लेकर ..... रु. का बीमा रक्षण प्राप्त हो सके।

भवदीय,

( )

कर्मचारी का नाम तथा पदनाम

स्थान :
तारीख :

फार्म सं. 11

सेवा में,
(विभागाध्यक्ष)

महोदय,

मैं फ्लैट/मकान (ब्यौरा दें) अधिग्रहण करने/निर्माण करने के प्रयोजन से मैसर्स ..... (कम्पनी का नाम) से ..... रु. (शब्दों और अंकों में) का ऋण लेने के संबंध में बातचीत कर रहा हूं। जैसा कि मैसर्स .....द्वारा वांछित है और मैंने सभमति दे दी है, मुझे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य के रूप में कम्पनी बीमा राशि और बचत निधि में संचित राशि मैसर्स ..... को समनुदेशित करने की अनुमति दे दी जाए। मैं एतद्द्वारा आपको मेरे सरकारी सेवा में न रहने पर मुझे भी जाने वाली राशि अथवा मेरी मृत्यु होने पर मेरे नामिती/नामितियों को देय राशि का मैसर्स .....से मेरे द्वारा लिए गए ऋण की बकाया राशि के बदले उन्हें भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता हूं। शेष राशि की अदायगी यदि कोई हो, तो मुझे/मेरे नामिती/नामितियों को कर दी जाए।

मैसर्स .....के साथ मेरे द्वारा किए जाने वाले करारनामें की एक सत्यापित प्रति यथा-समय रिकार्ड के लिए प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भवदीय,

(कर्मचारी का नाम तथा पद नाम)

फार्म सं. 12

सेवा में,

श्री .....

महोदय,

आपके दिनांक .....के पत्र के संदर्भ में मकान/फ्लैट (ब्यौरा दें) का निर्माण/अधिग्रहण करने के प्रयोजन से ..... रु. (शब्दों और अंकों में) का ऋण लेने तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के सदस्य के रूप में अपनी बीमा राशि और बचत निधि में संचित राशि मैसर्स ..... को समनुदेशित करने की .....(विभागाध्यक्ष) की स्वीकृति सम्प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है। आपकी और ऋण के कारण देय राशि के प्रति मैसर्स .....द्वारा दावा की गई रकम की बिना विस्तृत जांच पड़ताल के उन्हें अदायगी कर दी जाएगी और बचत निधि में संचित राशि अथवा बीमा राशि तथा बचत निधि में संचित राशि के कारण शेष राशि, यदि कोई हो का ही, भुगतान आपको अथवा आपके नामिती/नामितियों को, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

2. आपके दिनांक .....के पत्र की अधिप्रमाणित प्रति तथा यह पत्र मैसर्स ....को उनके रिकार्ड के लिए भेजा जा रहा है।

भवदीय,

( )

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी समूह बीमा योजना, 1980 के अंतर्गत एक जनवरी, 1990 से सभी समूहों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदान तथा तदनुरूपी बीमा की दरें बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दी हैं।

अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली, 1981 की अनुसूची को 1 जनवरी, 1990 से तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने से, अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी :— अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली, 1981 को दिनांक 10 नवम्बर, 1981 की सा. का. नि. संख्या 584ई द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

[संख्या 11024/76/79—अ. भा. स. (III)]
श्रीमती सुभद्रा एस., अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 7th March, 1990

NOTIFICATION

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Rule 5 of the All India Services (Group Insurance) Rules, 1981, the Central Government in consultation with the State Governments concerned, hereby makes the following Rules further to amend the All India Services (Group Insurance) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These Rules, may be called the All India Services (Group Insurance) Amendment Rules, 1990.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of the January, 1990.

2. In the All India Services (Group Insurance) Rules, 1981, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

(See rule 3)

(Annexure to the Ministry of Finance (Department of Expenditure's O.M. No. F. 7(5)-E. V/89 dated 15th May, 1989).

Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980

Date of effect

1. Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 hereinafter referred to as the 'scheme' was notified on 1st 1st Nov., 1980 and came into force with effect from the forenoon of 1st Jan., 1982.

Objective

2. The 'scheme' is intended to provide for the Central Govt. employees, at a low cost and on a wholly contributory and self-financing basis, the twin benefits of an insurance cover to help their families in the event of death in service and a lump-sum payment to augment their resources on retirement.

Application

3.1 The 'scheme' shall apply to all Central Govt. servants including those in the Railways, Posts and Telegraphs and Defence except members of the Armed and Para-Military Forces who have already separate schemes of their own. Contract employees/persons on deputation from State Govts. Public Sector Undertakings, or other autonomous organisations locally recruited staff in the Indian Missions abroad, casual labourer, part-time and ad-hoc employees will not be covered by the 'scheme', The 'scheme' will also not apply to persons recruited under the Central Govt. after attaining the age of 50 years. Such Central Govt. servants to whom the 'scheme' applies will hereafter be referred to as 'employees'.

3.2 Re-employed Defence personnel availing the extended insurance cover under the Group Insurance Scheme applicable to the members of Armed Forces shall not be eligible to become members of the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 as long as they continue to avail such insurance cover. On expiry of that benefit and subject to fulfilment of the prescribed conditions, these personnel may, on their request, be considered for membership under the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Membership

4.1 The 'scheme' will be compulsory for all those 'employees' who enter Central Govt. service after the 'scheme' is notified i.e. all those 'employees' entering Central Govt. service after 1st Nov., 1980 will be compulsorily covered under the 'scheme'.

4.2 Those 'employees' who were in Central Govt. service on the date the 'scheme' was notified had an option to opt out of the 'scheme' by 31st January, 1981. Those 'employees' who did not opt out of the 'scheme' by that date were deemed to have become members of the 'scheme' from the date the 'scheme' came into force. Those 'employees' who had opted out of the 'scheme' were, however, allowed further opportunities on 20th February, 1982, 14th February, 1983, 30th March, 1985 and 27th October, 1986 to become members of the 'scheme'. The option on all these occasions was to be exercised in Form No. 10. No further choice will be available to the employees who failed to avail themselves of the opportunity given on 27th October, 1986.

4.3 After the 'scheme' has come into force all 'employees' who enter service on or after 2nd January of any year shall be enrolled as members of the 'scheme' on the next anniversary of the 'scheme'.

Subscription for members

5.1 The subscription for the 'scheme' will be in units of Rs. 10 p.m. till 31st Dec., 1989. Thereafter with effect from 1st January, 1990 the subscription for the 'scheme' will be in units of Rs. 15 p.m. All those 'employees' who were members of the 'scheme' on 31st January, 1989 have an option to opt out of the scheme with subscription units of Rs. 15 p.m. This option should be exercised by 15th June, 1989. Those 'employees' who do not opt out of the scheme with the subscription units of Rs. 15 p.m. by that date will be deemed to have opted for the scheme with the subscription units of Rs. 15 p.m. effective from 1st January, 1990. The option once exercised or not exercised) will be treated as final and no further choice will be available. Other employees who opt out of the scheme with the subscription units of Rs. 15 p.m. will continue to subscribe for the scheme in units of Rs.10 p.m till they cease to be in employment with the Central Government on account of retirement, resignation, death etc.

5.2 A Group 'D' employee will subscribe for one unit, a Group 'C' employee for two units, a Group 'B' employee for four units and a Group 'A' employee for eight units. Thus the rate of subscription for a member of the schme who opts out the scheme with the subscription units of Rs. 15 p.m. shall be Rs. 10 Rs. 20 Rs. 40 and Rs. 80 p.m. for Group 'D', 'C', 'B' and A employees respectively. In the case of other employees the rate of subscription for the scheme shall be Rs. 15, Rs. 30, Rs. 60 and Rs. 120 p.m. for Group 'D', C', 'B' and 'A' employees respectively.

5.3 In the event of regular promotion of an employee from one Group to another, his/her subscription shall be raised, from the next anniversary of the scheme, to the level appropriate to the Group to which he/she is promoted. Until, the date of nex anniversary of the scheme he/she shall continue to be covered for insurance for the same amount for which he/she was eligible before such promotion.

For example, if the revised rates of subscription come into force w.e.f. 1st January, 1990, a Group 'D' employee promoted on regular basis to Group 'C' in February, 1990 shall continue to subscribe at the rate of Rs. 15 p.m. upto December, 1990 and be eligible for the insurance cover of Rs. 15,000 only in addition to the benefits from the Savings Fund appropriate to his subscription. From January, 1991 his subscription will be raised to Rs. 30 p.m. and he will become eligible for an insurance cover of Rs. 30,000 in addition to appropriate benefits from the Savings Fund.

5.4 Sometimes regular promotion, e.g. on until further orders basis cannot be made for variaus reasons even though it is known that the promotion of the individual is likely to continue on a long term basis. Therefore, unless a promotion has been made for a specified or short period and expected that the employees would revert to a post in a lower group at the end of that period, he/she should be treated to have been promoted, for the purpose of the scheme on a regular basis and subscription should be recovered accordingly. The question, whether an employee is likely to revert to post in the lower Group may be decided by the administrative authorities in their discretion., taking into consideration the circumstances of each case. Once a person has been admitted to a higher Group, the rate of subscription will continue at the same level even if that person reverts to a post in the lower Group later on for any reason.

Premium and Insurance cover for Employees other than Members

6. The employees entering service on or after 2nd January of any year will be given benefit of appropriate insurance cover from the date of joining Government service to the date of their becoming members of the scheme on payment of a subscription of Rs. 5 p.m. as the premium for every Rs. 15,000 of the insurance cover. From the date of anniversary of the scheme they will subscribe at the rate indicated in para 5.2 above.

For example, if the revised rates of subscription come into force w.e.f. 1st January, 1990, a Group 'D' employee entering service in February, 1990 shall pay a subscription of Rs. 5 p.m. as premium for a insurance cover of Rs. 15,000 for a period of 11 months until December, 1990 and from January, 1991 his subscription will be raised to Rs. 15 p.m. and he shall become eligible for the benefits from Savings Fund in addition to the insurance cover of Rs. 15,000. Similarly a Group 'C' employee entering service in February, 1990 will pay a subscription of Rs. 10 p.m. as the premium for an insurance cover of Rs. 30,000 for a period of 11 months upto December, 1990 and from January, 1991 his subscription will be raised to Rs. 30 p.m. and he shall become eligible for the benefits from the Savings Fund in addition to insurance cover of Rs. 30,000.

Insurance Fund and Insurance cover for members

7.1 In order to provide an insurance cover to each member of the scheme a portion of the subscription shall be credited to an insurance fund to be held in the Public Account of the Central Government. The amount of insurance cover will be Rs. 15,000 for each unit of subscription of Rs. 15 p.m. and Rs. 10,000 for each unit of subscription of Rs. 10 p.m. It will be paid to the families of those employees who unfortunately die due to any cause, including suicide, while in Central Government service.

7.2 The positive and negative balances under the Insurance Fund shall be credited or debited, as the case may be, with the amount of interest calculated at the prevailing rate of interest on the Post Office Savings Bank Deposits, which at present is 5½% per annum.

Savings Fund

8.1 The balance of the subscription shall be credited to a Savings Fund. The amount in the Savings Fund will be held by the Central Government in Public Account. The total accumulation of Savings together with interest thereon will be payable to the member on his retirement after attaining the age of superannuation or on cessation of his employment with the Central Government or to his family on his death while in service.

8.2 The actual benefits from the Savings Fund will be as shown in the Table to be issued for each year. The Table will be constructed on the basis of individual's subscription reduced by the cost of insurance at mortality rate of 3.60 per thousand per annum and the compound interest at the rate of 12% per annum (compounded quarterly). If at any time the rate of interest changes and/or the cost of insurance changes, the benefits available from the Savings Fund will also change correspondingly.

8.3 In the case of death of a member while in service the payment of the amount of insurance will be in addition to the payment from the Savings Fund.

8.4 The positive balance under the Savings Fund shall be credited with the amount of interest calculated at the rate of interest notified by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, for the purpose.

8.5 Interest was allowed at 10% per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund for the period from 1st January, 1982 to 31st December, 1982 and at 11% per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund for the period from 1st January, 1983 to 31st December, 1986. Interest is allowed at 12% per annum (compounded quarterly) on the balances in the Savings Fund w.e.f. 1st January, 1987.

Recovery of Subscription

9.1 The subscription of a member for a month shall fall due at the commencement of the normal working hours on the 1st of that month.

9.2 The subscription as a premium for the insurance cover from the date of joining Government service to the date of membership of the scheme shall initially fall due from the date of joining and subsequently from the commencement of normal working hours on the 1st day of every month.

9.3 The subscription for a month shall be recovered by reduction from the salary/wage of the employee for that month irrespective of the date of actual payment of salary/wage for that month.

9.4 The subscription shall be recovered every month including the month in which the employee ceases to be in employment on account of retirement, death, resignation removal, etc. from service.

9.5 The Drawing and Disbursing Officer shall recover the subscription from the employees irrespective of their being on duty, leave or suspension.

9.6 No interest shall be levied on arrears of subscription if the non-recovery is due to delayed payments of salary/wage.

9.7 If an employee is on extraordinary leave and there is no payment of his salary/wage for any period his subscription for the months for which no payments of salary/wage are made to him shall be recovered with interest rounded to the nearest whole rupee admissible under the scheme on the

accretions to the Savings Fund in not more than three instalments commencing from his salary/wage for the months following the month in which he resumes duty after leave. if an employee dies while on extraordinary leave the subscription due from him shall be recovered with interest rounded to the nearest whole rupee admissible under the scheme on the accretions to the Savings Fund from the payments admissible to his family under the scheme.

For example, if a Group 'D' employee proceeds on ten months extraordinary leave from 5-2-1990 to 4-12-1990 and no salary/wage is paid to him for any day for March, 1990 to November, 1990, his subscriptions totalling Rs. 135 will be recovered together with the interest calculated at the compound rate of interest of 12% per annum in not more than three instalments commencing from January, 1991.

9.8 If an employee proceeds on deputation or on foreign service the borrowing authority/foreign employer shall be requested to effect the recovery on the subscription and credit the same to the relevant head of account. It shall be ensured that the necessary clause to this effect is included in terms of deputation/foreign service. The recovery of this amount will be watched in the same manner as applicable to leave salary and pension contribution. If at any time the recovery of subscription falls in arrears, the same shall be recovered with interest admissible under the scheme on the accretions to the Savings Fund in not more than three instalments.

Finance of subscription from General/Contributory Provident Fund

10.1 It will not ordinarily be permissible to finance the scheme from the Genral/Contributory Provident Fund. However, if at any stage the position of an individual member does not permit him to subscribe to the scheme and to the General/Contributory Provident Fund at the same time, he may be permitted to make, as a separate transaction a non-refundable withdrawal from the General/Contributory Provident Fund of an amount equivalent to a year's subscription paid for the scheme.

10.2 The subscription to the scheme will form part of the deduction allowable in respect of life insurance premia contributions to Provident Fund etc., in computing the total income of the subscriber for the purpose of income-tax except to the extent of the amount finally withdrawn from the General/Contributory Provident Fund on account of such subscription.

Payments from Insurance Fund/Savings Fund

11.1 If an employee retires on attaining the age of superannuation or otherwise ceases to be in Central Government service and his service book disclose that he has been the member of the scheme the Head of Office shall issue a sanction for the payment of the member's accumulation in the Savings Fund after obtaining a simple application in Form No. 4.

11.2 If an employee dies while in service and his service book discloses that he was a member of the scheme, the Head of Office shall address the nominees/heirs of the Government servant concerned in Form No. 5 to submit an application in Form No. 6 and on receipt thereof shall issue sanction for the payment of the amount of insurance and the accumulation in the Savings Fund to him (them).

11.3 In the event of death of a member of the scheme while in service if a person who is eligible to receive insurance amounts, is charged with the offence of murdering the member of the scheme or abetting in the commission of such an offence, his/her claim to receive insurance amounts shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against such a person. If on the conclusion of the criminal proceedings the person concerned is convicted for the murder or abetting in the murder, he/she shall be debarred from receiving his/her share of insurance amounts, which shall be paid in equal shares to other eligible persons. However, on the conclusion of the criminal proceedings if the person concerned is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder, his/her share of insurance amounts shall be paid to him/her without any interest thereon.

11.4 If a member of the scheme is missing and has not been traced, the insurance cover shall be paid to the nominees/heirs of the missing person after expiry of a period of 7 years following the month of disappearance of the member provided the claimants produce a proper and indisputable proof of death or a decree of the court that the employee concerned should be presumed to be dead as laid down in section 108 of the Indian Dividence Act, the accumulation in the Savings Fund may, however, be paid to the nominees/heirs after lapse of a period of one year following the month of disappearance subject to the fulfilment of the following conditions :—

(i) The family must lodge a report with the concerned Police Station and obtain a report that the employee has not been traced after all efforts had been made by the police.

(ii) An Indemnity Bond should be taken from the nominees/heirs of the employee that all payments shall be adjusted against the payment due to the employee in case he/she appears on the scene and makes any claim.

11.5 Full subscription at the rate applicable on the date of disappearance of the employee will continue to be recovered every month from the nominees/heirs of the missing employee for a period of one year following the month of disappearance, hereafter premium for insurance cover at the rate of Rs. 5 per month for every Rs. 15,000 of the insurance cover will be recovered for a further period of six years or till the month in which insurance cover is paid, whichever is later. It will, however, be permissible if recovery of full subscription for one year together with interest thereon at the rate admissible on the accumulation in the Savings Fund is made from the Savings Fund amount to be paid after one year. Similarly, premium for the next six years at the rate of Rs. 5 per month for every Rs. 15000 of the insurance cover may also be recovered together with interest thereon at the rate admissible on the accumulations in the Savings Fund from the insurance amount to be paid after expiry of the period of seven years following the month of disappearance.

11.6 Insurance amount shall be paid to the nominees/heirs of the missing employee subject to the fulfilment of the condition mentioned in para 11.4 even if the date of superannuation of the missing employee falls before the expiry of the period of seven years following the month of disappearance.

11.7 The amount payable to the nominees/heirs of an employee who has the benefit of an insurance cover only will be the amount of insurance appropriate to his Group.

11.8 The amount payable to the nominees/heirs of a member of the scheme who dies while in service shall be :

(a) the amount of appropriate insurance to which he was entitled at the time of his death; plus

(b) the amount due to him out of the Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group; and

(c) the amount or amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment/promotion to higher Group for the period from which the rate of subscription was raised to the date of his death.

EXAMPLE-I

If a Group 'D' employee who is a member of the scheme since January, 1984 acquires membership in Group 'C' and Group 'B' after 5 years and 15 years of service respectively and dies while in service after 30 years of total membership in all these Groups, his nominee(s) shall be paid the sum of the following amounts :—

(i) The amount of insurance of Rs. 60,000 due on a monthly subscription of Rs. 60 being a Group 'B' employee on the date of his death;

(ii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 10 from Jan., 1984 to Dec., 1989 and monthly subscription of Rs. 15 from Jan., 1990 to Dec., 2013 (total 30 years);

(iii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 10 (Rs. 20 Rs. 10) from Jan., 1989 to Dec., 1989 and monthly subscription of Rs. 15 (Rs. 30—Rs. 15) from Jan., 1990 to Dec., 2013 (total 25 years);

(iv) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 30 (Rs. 60—Rs. 30) from Jan., 1999 to Dec., 2013 (total 15 years).

EXAMPLE-2

If a Group 'D' employee who becomes a member of the scheme since Jan., 1990 acquires membership of Group 'C' Group 'B' and Group 'A' after 5 years, 15 years and 30 years of service respectively and dies while in service after 31 years of total membership in all these Groups, his nominee(s) shall be paid the sum of the following amounts :—

(i) The amount of insurance of Rs. 1,20,000 due on a monthly subscription of Rs. 120 being a Group 'A' employee on the date of his death;

(ii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 15 for 31 years.

(iii) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 15 (Rs. 30—Rs. 15) for 26 years.

(iv) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 30 (Rs. 60—Rs. 30) for 16 years.

(v) The amount due from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 60 (Rs. 120—Rs. 60) for 1 year.

11. 9 The amount payable to the employee who ceases to be in employment with the Central Government on account of resignation, retirement, etc. shall be:—

(a) The amount due to him from Savings Fund for the entire period of his membership in the lowest Group; and

(b) The amount of amounts due to him for the additional units by which his subscription was raised on each occasion due to appointment, promotion to higher Group, for the period from which the rate of subscription was so raised to the date of cessation of his membership.

EXAMPLE-1

If a Group 'C' employee who is a member of the scheme since Jan., 1983 acquires membership in Group 'B' and Group 'A' after 10 and 20 years of service respectively and retires on superannuation after 30 years of total membership in all these Groups, he shall be paid the sum of the following amounts :—

(i) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 20 from Jan., 1983 to Dec., 1989 and monthly subscription of Rs. 30 from Jan., 1990 to Dec., 2012 (total 30 years);

(ii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 30 (Rs. 60—Rs. 30) from Jan., 1993 to Dec., 2012 (total 20 years).

(iii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 60 (Rs. 120—Rs. 60) from Jan., 2003 to Dec., 2012 (total 10 years).

EXAMPLE-2

If a Group 'D' employee who becomes a member of the scheme in Jan., 1991 acquires membership in Group 'C' and Group 'B' after 15 and 25 years of service respectively and retires on superannuation after 32 years of total membership in all these Groups, he shall be paid the sum of the following amounts :—

(i) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 15 for 32 years.

(ii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 15 (Rs. 30—Rs. 15) for 17 years; and

(iii) The amount due to him from Savings Fund on a monthly subscription of Rs. 30 (Rs. 60—Rs. 30) for 7 years.

11.10 If any employee dies during a month before the recovery of subscription for that month from him, his dues shall be paid after deducting the subscription.

11.11 If any employee joins later on an All India Service, his case shall be regulated in such a manner as may be decided by the Ministry of Finance.

WITHDRAWALS FROM INSURANCE FUND|SAVINGS FUND

12.1 It will not be permissible for any member or beneficiary of the scheme to withdraw any amount out of the insurance fund to which he has been subscribing. The amount due from the fund on the death of a member of the scheme while in service shall be worked out in accordance with para 11.8 and paid to his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

12.2. It will not be permissible for any member of the scheme to withdraw any amount out of the Savings Fund, he has been subscribing. The amount due to him from the fund on his cessation of employment on account of resignation, retirement, etc. shall be worked out in accordance with para 11.9 and paid to him or his nominee(s) in accordance with the accounting procedure prescribed separately.

LOANS ADVANCES FROM OR AGAINST ACCUMULATIONS IN INSURANCE FUND|SAVINGS FUND

13.1. No loans or advances shall be paid to any member or other beneficiary of the scheme from his/her accumulations in the Insurance Fund|Savings Fund to which he|she has been subscribing.

13.2. A member of the scheme who has obtained House Building Advance from the Govt. can assign his/her Insurance cover and accumulation in the Savings Fund to a recognised financial institution for the purpose of obtaining additional loans for acquiring a plot of land or a ready built house|flat or for building a house|flat. Permission for assignment of the insurance cover and accumulation in the Savings Fund may be given with the specific approval of the Head of Deptt., if the member of the scheme makes a request in writing in Form No. 11 subject to the condition that the total amount of House Building Advance sanctioned by the Govt. and the loan raised by the member from the financial institution taken together shall not exceed the cost ceiling limits prescribed by the Ministry of Urban Development.

13.3 If a member of the scheme has a plot of land in the name of any member of his|her family and proposes to construct a house on that plot of land or if a member of the scheme proposes to acquire a ready built house| flat or a plot of land in the name of any member of his| her family, he|she will be permitted to assign his|her insurance cover and accumulation in the Savings Fund for obtaining loan from a recognised financial institution.

13.4 The head of Deptt. will communicate his permission for assignment of the insurance cover and accumulation in Savings Fund to the employee in Form No. 12. The request of the employee in Form No. 11 and communication of permission in Form No. 12 will be pasted in the service record of the employee with the following entry in the service record in red ink :—

"(Name of the employee) has been allowed at his|her request to assign his|her insurance cover and Savings Fund accumulation under the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 to (the name of the recognised financial institution).

"vide letter No........Dt . . . . . ."

13.5. At the time of the settlement of the claim of the employee or his|her nominee(s) under the scheme the amount claimed by the financial institution as due from the employee on account of loan will be paid to the institution without any detailed scrutiny and only the balance amount if any, will be paid to the employee or his|her nominee(s).

UTILISATION OF ACCUMULATIONS IN INSURANCE FUND|SAVINGS FUND

14. The accumulation in the insurance Fund|Savings Fund shall be at the disposal of the Central Govt. Since the scheme is wholly self-supporting and self-financing, the bulk of these accumulations are proposed to be utilised for ownership housing schemes and other schemes for the benefit of the members of the scheme.

MODE OF NOTIFICATION OF THE SCHEME

15. The scheme shall be notified to the employees by displaying a copy thereof on the notice board or where no such notice board is provided at a prominent place in a premises where the employees are working. A few copies of the scheme may also be supplied to the recognised unions|associations of the employees.

ACTION ON NOTIFICATION OF THE SCHEME

16. By the 10th of every month following the month in which the scheme is notified, the Head of Office shall supply to the Drawing & Disbursing Officer names, Groups, dates of birth and date of appointment of persons who may be appointed to any service or post under the Central Govt. during the preceding month and who would be eligible to be the members of the scheme in terms of para 3 of the scheme.

ACTION ON THE SCHEME COMING INTO FORCE

17.1. By the 10 of the month in which the scheme came into force the Head of Office had to supply to the Drawing & Disbursing Officer a statement indicating the name, Group and the date of birth of every employee who had been in the Central Govt. Service on the date the scheme was notified, but had not opted out of the scheme.

17.2 Every member of the scheme shall be informed in Form No. 1 the date of his enrolment, the subscription to be deducted and the benetfis to which he would be eligible. On his regular promotion from one Group to another he will be similarly informed in Form No. 2.

17.3 The option exercised by the employees who were already in Central Government service on the date the scheme was notified was to be in Form No. 3 which had to be pasted in the service book of the individuals concerned.

REGISTER OF MEMBERS

18. The Head of Office shall ensure that Group-wise register of member is maintained in the Form No. 9 and kept upto date. This register shall be sent to the D.D.O. concerned once a year to verify whether appropriate subscriptions are being recovered from all employees who have joined the insurance fund or both the insurance Fund and the Savings Fund under the scheme and to record a certificate to this effect.

NOMINATIONS

19.1 The Head of Office shall obtain from every member of the scheme a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may become payable under this scheme in the event of his/her death before attaining the age of superannuation. In the case of employees who join Central Government service after the date on which the scheme is notified such nomination shall be obtained alongwith joining report.

19.2 If a member of the scheme happens to be minor, he/she will be required to make nomination on his/her attaining the age of majority.

19.3 If a member of the scheme has a family at the time of his/her making the nomination he/she shall make such nomination only in favour of a member or member(s) of his/her family. For this purpose, family will have th same meaning as assigned to it in the General Provider Fund (Central Services) Rules, 1960 or Contributory Prov dent Fund Rules (India) 1962, as the case may be.

19.4 If a female member of the scheme by notice in wri ing to the Head of Office expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of her family in matters to which the scheme relates, unless she subsequently cancels such notice in writing.

19.5 If nominated member(s) of family subsequently cease to be the member(s) of the family, e.g. minor brother crossing the age of minority, marriage of unmarried sister, remarried sister, remarriage of widow before payment of insurance amounts, etc., nomination made in favour of such member(s) shall become invalid.

19.6 If a member nominates more than one person, he/she should specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominee(s) in such a manner as t cover the whole of the amount payable under the schem failing which the amount payable under the scheme shall b equally distributed among the nominees.

19.7 The nomination shall be made in Form 7 or Forn No. 8 as is appropriate in the circumstances.

19.8 A member of the scheme may at any time cancel a nomination by sending a notice to the Head of Office along with a fresh nomination made in accordance with the above provision.

19.9 The nomination received from the members shall be counter-signed by the Head of Office and pasted in their service books. The Head of Office shall also make an entry in the service book that the nomination has been duly received.

19.10 If a member of the scheme dies without leaving behind a valid nomination, the nomination, if made under GPF/CPF Rules may be accepted for the purpose of this scheme also. Where there is no nomination even for GPF CPF accounts, amounts payable under the scheme shall t paid as follows :—

(a) The entire amount may be paid in equal shares t widow/widows, minor sons and unmarried daughter provided that in the case of more than one widow the second and subsequent marriages were solemnised with the permission of Central Government. In the case of minor sons and daughters their mother, who is not a Muslim lady, shall be deemed to be the natural guardian to receive the amount due. Guardianship certificate has to be produced by the minor sons and daughters of a Muslim lady.

(b) In the absence of member(s) eligible under (a) above, the payment may be made in equal shares to other members of the family as defined in General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960/Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

(c) In the absence of member(s) eligible under (b) above also payment may be made to other legal heir(s) not covered by items (a) and (b) above.

19.11 In the case of claimants covered by items (a) and in para 19.10 the payment will be made by the Head of Office without insisting on production of Succession Certificate but in the event of payment to the claimants covered by item (c) in para 19.10 Succession Certificate issued by a competent court will have to be produced.

20. Central Government Employees Insurance Scheme, 1970.—Central Government Employees Insurance Scheme, 1977 introduced by the Department of Expenditure O.M. No. 60/14/77-IC dated 23rd June, 1977 will continue for those employees who have opted out of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 till they cease to be in employment with the Central Government on account of retirement, resignation, death, etc.

ACCOUNTING

21.1 The transactions relating to the scheme shall be accounted for in accordance with the procedure laid down separately.

21.2 Government dues recoverable from a member of the scheme shall not be adjusted from the amounts payable under this scheme except as provided in para 13.5.

INTERPRETATION AND CLARIFICATION

22.1 If any categories of employees are not specifically classified into Group 'A' Group 'B' Group 'C' or Group 'D' their classification shall be assumed in accordance with the principles laid down in this regard under the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

22.2 In the actual implementation of the scheme if any doubt arises in regard to the interpretation of any of the provisions of this scheme or if any point requires clarification, the matter may be referred to the Ministry of Finance, whose decision shall be final.

REVIEW OF THE SCHEME

The working of the scheme will be reviewed every three years to ensure that the scheme remains self-financing and self-supporting.

FORM NO. 1

Government of India

Ministry of .....

Department/Office .....

Dated .....

MEMORANDUM

Shri ..... a Group ..... employee has been enrolled as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 w.e.f. ..... and monthly subscription of Rs. ..... (Rupees ....) shall be deducted from his salary/wage commencing from the month of ..... and he will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group ..... w.e.f. .....

(Head of Office)

To

Shri .....

Name and designation of the employee

FORM NO. 2

Government of India

Ministry of .....

Department/Office .....

Dated .....

MEMORANDUM

Shri ..... * .... has been promoted on a regular basis, from Group ..... to Group ..... w.e.f. ..... His monthly subscription for the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 shall be raised from Rs. ..... to Rs. ..... from the month of ..... and he will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group ..... w.e.f. .....

(Head of Office)

Shri .... * ....

* ....Name and designation of the employee

FORM NO. 3

To

(Head of Office)

Sir,

I have read and understood/I have been explained the details of the new Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. I opt to remain outside this new 'Scheme'.

Yours faithfully,

( )

Name and designation of the employee

Place :

Date :

FORM NO. 4

To

* The .....

.....

Subject :—Application for payment of accumulation under Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sir,

I have been a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 since ..... ** I have retired from service after attaining the age of ..... years/I have ceased to be in employment with the Central Government w.e.f. ..... I was holding the post of ..... before retirement/cessation of employment with the Central Government. I request that the amount due to me under the Central Government Employees Group Insurance Scheme may be paid to me.

Yours faithfully

( )

Designation and address of the Head of Office.

Month and the year of becoming a member of the scheme may be indicated here.

Form No. 5

No .....
Government of India
Ministry of .....
Department of .....
Office of .....

Dated .....

To

* _____
_____

Subject :—Payment of the amount due under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Dear/Sir/Madam,

I am directed to state that the late Shri .... has nominated you for payments of full/ ..... percent of amounts due under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980. You are, therefore, requested to submit an application in the enclosed from No. 6 for arranging payment.

Yours faithfully

( )

* Name and address of the nominee.

FORM NO. 6.

To

* The .....
.....

Subject :—Application for payment of amount due to late Shri ..... under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

Sir,

With reference to your letter No. ..... dated ..... I hereby request that the full/ ..... percent of amount due to late Shri .... under the Central Government Employees Group Insurance Scheme may be paid to me.

Yours faithfully,

( )

* Name and address of the office from where Form No. 5 is received.

FORM NO. 7

Nomination for benefits under the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980.

When the Government servant has not family and wishes to nominate one person or more than one person.

I, having no family, hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

Names and addresses of nominee	Relationship with govt. servant	Age	Share of amount to be paid to each.	Contingencies** on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the Government servant.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

Dated, this day of 19 at

Two witnesses to signature.

1.

2.

Signature of Government Servant

N.B.—The Government servant should draw line across the blank space below his Last entry to prevent the insertion of any names after he has signed.

*This column should be filled in so as to cover the whole amount they may be payable under the Insurance Scheme,

**Where a Government servant who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

FORM NO. 8

Nomination for benefits under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980.

When the Government servant has a family and wishes to nominate one member or more than one member thereof.

I, hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

Names and address of of nominee/nominees	Relationship with servant	Age	*Share be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid.	Name address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his pre-deceasing the Govt. servant.
1.					
2.					
3.					

N.B. The Government servant should draw line across the blank space below his last entry to prevent insertion of any name after he has signed.

Dated, this day of 19 at

Two witnesses to signature

Signature of two witnesses :

1.

2.

Signature of Government servant.

*This column should be filled in so as to cover the whole amount they may be payable under the insurance Scheme.

FORMN NO. 9

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME 1980

REGISTER OF MEMBERS

Section 1: Particulars of employees subscribing to the Insurance Fund only.

Sl. No.	Name	Designation	Date of birth	Date of appointment	Date of commencement of subscription	Date of promotion to higher Group/Date of transfer to other Department.	Date of death	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Section II—Particulars of employees subscribing to both Insurance Fund and Savings Fund.

Sl. No	Name	Designation	Date of birth	Date of appointment	Date of commencement of subscription	Date of promotion to higher Group/Date of transfer to other Department.	Date of cessation of membership and reason therefor.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM 10

To

(Head of Office)

Sir,

With reference to the Ministry of Finance Office Memorandum No. 7(6)EV/86, dated the 27th October, 1986, I hereby request that I may be enrolled as a Member in Group ..... of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 with effect from 1-1-1987 on the conditions specified therein. I agree to the recovery of the subscription of Rs. ..... as per provisions of the Scheme for providing me with an insurance cover of Rs. ..... commencing from the commencement of normal working hours on the 1st January, 1987, besides benefits from the Savings Fund under the Scheme.

Yours faithfully,

( )

Name and designation of the employee

Place :

Date :

FORM No. 11

To

(Head of Department)

Sir,

I am negotiating a loan of Rs. ..... (in wofds and figures) from M/s ..... (name of the Company) for the purpose of acquiring/constructing a flat/House (give details). As desired by M/s. ..... and agreed to by me, I am be permitted to assign my insurance cover and saving fund accumulation as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 to M/s. ..... I hereby authorise you to utilise the amount payable to me on my ceasing to be in government service or to my nominee(s) in the event of my death for making payment to M/s. ..... on account of outstanding dues against the loan taken by me from them. The balance amount, if any, may be paid to me/my nominee(s).

A true copy of the agreement that would be entered into by me with M/s. ..... will be submtited for record in due course.

Yours faithfully,

(Name and designation of the employee)

FORM No. 12

To

Shri .....

Sir,

With reference to your letter dated ..... I am directed to convey the approval of the ..... (Head of Department) to your obtaining loan of Rs. ..... (in words and figures) for the purpose of contructing/ acquiring a house/flat (give details) and assigning your insurance cover and accumulation in the Savings Fund as a member of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, to M/s. ..... The amount claimed by M/s. ..... as due from you on account of loan would be paid to them without detailed scrutiny and only the balance amount, if any, on account of the accumulation in Savings Fund or Insurance cover and accumulation in Savings Fund would be paid to you or your nominee(s) as the case may be.

2. An authenticated copy of your letter dated ..... and this letter is being sent to M/s. ..... for their record.

Yours faithfully,

( )

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government had increased the rate of subscription and corresponding Insurance cover by 50% with effect from the 1st January, 1990 under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 in respect of all Groups of Central Government Employees.

The Schedule to All India Services (Group Insurance) Rules, 1981 are being amended accordingly with effect from the 1st January, 1990.

It is certified that no member of the All India Service is likely to be adversely affected by this notification being given retrospective effect.

Note.—The All India Services (Group Insurance) Rules, 1981 were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 584(E) dated 10th November, 1981.

[No. 11024/86/89-AIS II]

SUBHADRA S. Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110061
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990